(355)

संख्याः 545/XVIII(3)/2019-02(66)2017TC

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 22 जुलाई, 2019

विषयः– **राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु भूमि अधिग्रहण प्रकरणों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारों को अनुग्रह अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हेतु अर्जित की जा रही सरकारी भूमि पर व राजस्व अभिलेखों में दर्ज कतिपय कास्तकारों/व्यक्तियों से इतर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर किये गये निर्माण कार्यों का प्रतिकर/मुआवजा भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में राजस्व अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 446/XVIII(3)/2018-2(66)/2017TC दिनांक 28 जून, 2018, शासनादेश संख्या 921/XVIII(3)/2018-2(66)/2017TC दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या 196/XVIII(3)/2018-2(66)/2017TC दिनांक 20 जून, 2019 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– अनु सचिव, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/73(1)2016-LA(pt), दिनांक 11.01.2019 के माध्यम से प्राप्त दिसम्बर, 2018 में निर्गत दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 3.5.5 के खण्ड (v) के उपखण्ड (b) के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था का उल्लेख किया गया हैः–

> (v) Payment of compensation for private structures like houses & other buildings on Government land:
>
> > (b) There may be cases where people have been living on the Government land for a long period and State Government determin such person as bona-fide & genuine users of the said land. Such a right must have been created by the Government through an instrument/GO of the Government. Other civic facilities like water supply, roads, electricity etc. are also provided to them by the Government but no ownership document is available with them. In such cases ex-gratia may be paid for the structures based on the valuation done by following the procedures mentioned in the above paras, provided the proposal is received through CALA/Government.

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 में निर्गत दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 3.5.5 के

खण्ड (v) के उपखण्ड (b) में उल्लिखित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु अर्जित की जा रही राज्य सरकारी भूमि पर विगत कई वर्षों से अवैध कब्जाधारियों द्वारा निर्मित संरचनाओं के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त/शर्तों के अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारक को मात्र भवन संरचना पर अनुग्रह अनुदान देय होगा, परन्तु भूमि का कोई भी प्रतिकर देय नहीं होगा।
2. अवैध कब्जाधारक द्वारा उक्त सम्पत्ति/भवन पर अध्यासन की न्यूनतम अवधि 12 वर्ष से कम न हो।
3. अवैध कब्जाधारक के पास कब्जे की भूमि पर निर्मित संरचना/निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हों, जैसे बिजली/पानी के कनेक्शन/बिल, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या नगर निगम, पालिका, नगर पंचायत द्वारा प्रदत्त अभिलेखीय साक्ष्य इत्यादि।
4. अवैध कब्जे के सम्बन्ध में कोई विवाद/कोर्ट केस किसी न्यायालय में लम्बित न हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसे सम्बन्धित सम्पत्ति से कभी बेदखल न किया गया हो।
5. अवैध कब्जाधारकों द्वारा निर्मित संरचनाओं/भवनों के मूल्यांकन/जांच हेतु याचक विभाग (लोक निर्माण विभाग), राजस्व विभाग एवं तकनीकी विभाग की संयुक्त जांच कमेटी का जनपद स्तर पर गठन किया जायेगा।
6. अवैध कब्जाधारक द्वारा निर्मित भवन/संरचना का मूल्यांकन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ह्रास को सम्मिलित करते हुये किया जायेगा तथा किसी प्रकार का कोई तोषण नहीं दिया जायेगा।।
7. अवैध कब्जाधारक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उसके स्वामित्व में अन्यत्र कोई अचल सम्पत्ति जैसे भवन, दुकान इत्यादि न हो।
8. उक्त प्राविधान केवल राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिग्रहण सम्बन्धी प्रकरणों पर ही लागू होंगे।

अतः शासनादेश दिनांक 28 जून, 2018, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 एवं शासनादेश दिनांक 20 जून, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

...3

(353)

संख्याः 547/XVIII(3)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) प्रमुख निजी सचिव—मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

(2) प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(3) वरिष्ठ निजी सचिव—अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(4) सचिव, वित्त/न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(5) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(6) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

(7) अनु सचिव, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11011/73(1)2016-LA(pt), दिनांक 11.01.2019 के क्रम में।

(8) मुख्य अभियन्ता—क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, 46/1, कैनाल रोड़, जाखन, देहरादून।

(9) महाप्रबन्धक (परि0), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0, मकान नं0 58/37 प्रथम तल, बलवीर रोड़, देहरादून।

(9) समस्त अपर जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी, भूमि अर्जन, उत्तराखण्ड।

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
अपर सचिव।